प्रकरण क्रमांक 159/19
राज्य विरूद्ध महेश वर्मा

witness no. ......**04**......for ....अभियोजन साक्ष्य.................Deposition taken the.......**13-01-2020**.......day of **सोमवार**.....Witness's apparent age ...... 32 वर्ष States on affirmation ....शपथपूर्वक........... My name........ **अमित शाहा** Son/of ... **श्री यू.सी. शाहा** .... occupation......... **कम्प्यूटर ऑपरेटर**

address – 11/22 इस्पात नगर, भिलाई थाना–नवई, जिला दुर्ग छ.ग.।

01– मैं, न्यायालय उपस्थित आरोपी देवी प्रसाद को पहचानता हूँ। मैं, न्यायालय उपस्थित आरोपी महेश वर्मा को भी पहचानता हूँ। मेरे समक्ष देवी प्रसाद और महेश वर्मा को थाना–छावनी जिला–दुर्ग की पुलिस ने पूछताछ की थी। दोनों आरोपी देवी प्रसाद और महेश वर्मा ने मेरे समक्ष छावनी पुलिस को यह बात बताई थी कि उन्होंने पहले रेकी किया और उसके बाद साक्षरता चौक सुपेला में आशीष शर्मा से लूट की घटना को अंजाम देना बताया था और लूट का पैसा अपने पास रखना बताया था, जिसे पुलिस ने कृष्णा नगर सुपेला से जप्त किया था। जप्ती कार्यवाही मेरे समक्ष हुई थी।

02– उपरोक्त घटना को कारित करने के अलावा दोनों आरोपीगण ने अन्य किसी घटना के संबंध में कोई जानकारी मेरे समक्ष थाना–छावनी की पुलिस को नहीं दिये थे।

इसी स्तर पर अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही। अनुमति दी गई।

03– साक्षी को आरोपी महेश वर्मा उर्फ संजय वर्मा का मेमोरेंडम कथन प्र0पी0–5, जो आरक्षी केन्द्र छावनी जिला–दुर्ग के अपराध क्रमांक 132/19 में लेखबद्ध किया गया है, दिखाए जाने पर साक्षी ने अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। यह कहना गलत है कि उपरोक्त मेमोरेंडम के दौरान महेश वर्मा ने प्र0पी0–5 के ब से ब भाग का कथन, जिसमें उसके द्वारा देवी प्रसाद के साथ

मिलकर रायपुर के राजेन्द्र नगर और डी.डी. नगर में दिसम्बर 2018 और फरवरी 2019 में लूट की घटना को कारित करना बताया गया था।

04– साक्षी को आरोपी देवी प्रसाद का मेमोरेंडम कथन प्र0पी0–6, जो आरक्षी केन्द्र छावनी जिला–दुर्ग के अपराध क्रमांक 132/19 में लेखबद्ध किया गया है, दिखाए जाने पर साक्षी ने अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। यह कहना गलत है कि उपरोक्त मेमोरेंडम के दौरान देवी प्रसाद ने प्र0पी0–6 के ब से ब भाग का कथन, जिसमें उसके द्वारा महेश वर्मा के साथ मिलकर रायपुर के राजेन्द्र नगर और डी.डी. नगर में दिसम्बर 2018 और फरवरी 2019 में लूट की घटना को कारित करना बताया गया था।

05– यह कहना गलत है कि आरोपी महेश वर्मा और देवी प्रसाद द्वारा उपरोक्त जानकारी मेमोरेंडम कथन के दौरान मेरे समक्ष थाना–छावनी के पुलिस को दी गयी थी।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री महमूद अली अधिवक्ता वास्ते आरोपी महेश वर्मा</u>

06– कुछ नहीं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राजेश श्रीवास्तव अधिवक्ता वास्ते आरोपी देवी प्रसाद</u>

07– कुछ नहीं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा कुमारी मनीषा साहू अधिवक्ता वास्ते आरोपी जावेद</u>

08– कुछ नही।

साक्षी को पढ कर सुनाया,
समझाया गया सहीं होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया

(अनिल कुमार पाण्डेय)
दशम अति. सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.

(अनिल कुमार पाण्डेय)
दशम अति. सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग

साक्षी के हस्ताक्षर...........................